

प्रेसनोट दिनांक 16.07.2021

1. दिनांक 15.07.21 को वादी उ०नि० श्री बृजेश कुमार यादव थाना को० नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. कुर्बान अली पुत्र अब्दुल मन्नान 2. वारिश अली उर्फ राजा पुत्र कुर्बान अली नि० कौशलपुरी कालोनी फेज-01 थाना कोनगर अयोध्या अभि०गण द्वारा मा०न्या० के आदेश की अवहेलना करते हुए मा० न्या० में उपस्थित न होना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 451/21 धारा 174ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.07.21 को वादी श्री रामजी गुप्ता पुत्र बच्चुलाल नि० बेलदार का पुरवा थाना को०अयोध्या अयोध्या? द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यु०पी 42 एटी 2687 डीसीएम का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र का टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटें आना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 358/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.07.21 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि त्रिलोकी रावत पुत्र बाबादीन नि० अम्बरपुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायत बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 326/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.07.21 को वादी उ०नि० श्री संजय कुमार सिंह द्वारा सूचना दिया गया कि गुड्डू उर्फ जयराम पुत्र सीताराम नि० रामपुर ग्रान्ट साहब का पुरवा थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायत बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 327/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.07.21 को वादी श्री गिरजाशंकर पुत्र रामनेवल नि० बैती थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि भगवानदीन पुत्र मंगरू नि० जोहन थाना को०बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा वादी को मारना पीटना गाली व जानमाल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 337/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।